न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः	सना खान **(आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या–	941/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	211/2015 पीएस पाटन
सीआईएस संख्या	941/2015
सीएनआर संख्या	RJSK070017072015

राजस्थान राज्य

अभियोगी

बनाम

भीमराज उर्फ कालू पुत्र श्री रामजीलाल निवासी ढाणी सांपाला तन कोला की नांगल जिला सीकर

अभियुक्त

आरोप अन्तर्गत धारा 380 भा.दं.सं.

उपस्थितिः–

1. श्रीमती ईलाश्री, अभियोजन अधिकारी वास्ते राज. राज्य

2. श्री कुंज बिहारी शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

भाग प्रथम

अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची

अ –अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्लयू–1	त्रिवेन्द्र कुमार	ताईदकर्ता एफआईआर
पीडब्ल्यू 2	सुभाष	फर्द बरामदगी गवाह
पीडब्ल्यू 3	मनोज कुमार	फर्द गिरफ्तारी गवाह

ब – बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

––––––––

स – न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह,पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––––––––		

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ – अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी 1	तहरीर रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	फर्द पेशकशी एक खाली डिब्बा
3	प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 4	फर्द बरामदगी मोबाईल इन्सटूमेन्ट
5	प्रदर्श पी 5	फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी 6	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. सुभाष
7	प्रदर्श पी 7	फर्द गिरफ्तारी भीमराज उर्फ कालू

ब- बचाव प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
––––––––		

स- न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
––––––––		

नि र्ण य दिनांकः15.07.2026

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी त्रिवेन्द्र कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी दुकान यश मोबाइल प्वॉइंट बस स्टेण्ड हसामपुर पर है। दिनांक 01.08.2015 को दिन में करीब 1 बजे दोपहर में अपनी दुकान पर बैलेंस डाल रहा था तभी ग्राम ढाणी सांपाला भीमराज उर्फ कालू उसकी दुकान पर बैलेंस डलवाने आया था वह काम में व्यस्त था। इसी दौरान इसने रेज का नया मोबाइल जो पैकिंग डिब्बे में उपर रखा था काले रंग का मितवा को चोरी कर ले गया जिसका ईएमईआई नंबर 911456300217306 व 911456300217314 है। जिसे उसने काफी तलाश किया जो

नहीं मिला जो आज दिनांक 03.08.2015 को ग्राम हसामपुर में रेज मोबाईल नया की बैटरी खरीदने योगेश की दुकान पर आया योगेश ने फोन देखकर उसे फोन किया वह वहां पहुंचा तो भीमराज उर्फ कालू फोन लेकर भाग गया वह अपनी फोन का पैकिंग डिब्बा, चार्जर बैट्री, ईयर फोन पेश करता है आदि ।

2. परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुलिस थाना पाटन में मुकदमा नंबर 211/2015 धारा 380 भा.दं.सं. में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त भीमराज उर्फ कालू के विरुद्ध धारा 380 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

3. अभियुक्त को धारा 380 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो सुन समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाएं ।

5. अभियुक्त का परीक्षण धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्त ने गवाहान के बयानों को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, निर्दोष है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, का कथन किया है।

6. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। दौराने बहस अंतिम अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने के आधार पर अभियुक्त को युक्तियुक्त दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अंतिम प्रमुख रूप से कथन किए गए कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को संदेह से परे सिद्ध करना है किः

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.08.2015 को या इसके लगभग दोपहर करीब 1 बजे परिवादी त्रिवेन्द्र की दुकान यश मोबाइल प्वॉइंट बस स्टेण्ड हसामपुर में से रेज कंपनी का काले रंग का मिवात मोबाइल जिसके ईएमईआई नंबर 911456300217306 व 911456300217314 को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी कर ले गए ?

– यदि हां, तो उचित दण्ड क्या हो ?

9. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 3 गवाह परिक्षित करवाए गए हैं।

10. गवाह पी.ड. 1 त्रिवेन्द्र शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके पास मोबाइल की दुकान हसामपुर में है। घटना की तारीख उसे याद नहीं है। साल भर पहले की बात है। वह दुकान में काम कर रहा था फिर वहां भीमराज रिचार्ज करवाने दुकान में आया। भीमराज ने रेज कंपनी का मोबाइल काउंटर की दराज में से निकाला मोबाइल का कलर काला था। बाद में एक दुकानदार जिसका नाम योगेश है। योगेश की दुकान पर भीमराज ने जो मोबाइल चोरी

किया था उसकी बैटरी डलवाने के लिए योगेश की दुकान पर गया था। उसके पास डिब्बे में चार्जर व बैटरी थे। उसके बाद योगेश ने उसको फोन करके बताया । रिपोर्ट उसने दुकान पर ही की थी। पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। फर्द पेशगी मुस्तगीस खाली डिब्बा पैकिंग बैटरी मोबाइल चार्जर, ईयरफोन प्रदर्श पी 2 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। फोन भीमराज से मिला जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 4 है। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है। **मोबाइल व अभियुक्त की पहचान के बिंदू पर गवाह के बयान डैफर किए गए थे जो कि पूर्ण नहीं हुए।**

11. पीडब्ल्यू 2 सुभाष कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि मोबाइल 1–8 को चोरी हुआ था और 3–8 को पकड़ा गया था। यह घटना होली चौक में हसामपुर में मोबाइल की दुकान की है। मोबाइल की दुकान योगेश की है। उसके पास त्रिवेन्द आया उसने बताया कि भाई मोबाइल मिल गया है योगेश की दुकान पर मोबाइल भीमराज बैटरी डलवाने के लिए योगेश के पास गया था। यह मोबाइल लेकर बैटरी डलवाने गया था। उसने भीमराज से पूछा यह मोबाइल कहां से लेकर आया तो उसने बताया कि वह नारनौल से लेकर आया है। दूसरे बार दोस्त का नाम लिया तीसरे बार कहा कि उसने त्रिवेन्द्र की दुकान से चोरी की। मोबाइल रेज कंपनी का था। फिर उन्होंने डिब्बे से ईएमआई नंबर मिलाए तो मैचिंग हो गयी फिर वह त्रिवेन्द्र को पकड़ा दिया था। उसने अपराधी भीमराज को मोबाइल को त्रिवेन्द्र की दुकान पर बैठाकर आ गया। **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।** दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किए कि घटना की रिपोर्ट त्रिवेन्द्र ने दी थी। पुलिस ने उसके सामने मार्क रेज मितवा ब्लेक मोबाईल जब्त किया है जो प्रदर्श पी 4 है। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की हो। प्रदर्श पी 6 की बाते उसके सामने नहीं हुयी थी। प्रदर्श पी 3 पर जब वह शाम को पाटन थाने पर गया था वहां पर करवाए थे। सारे प्रदर्शों पर प्रदर्श पी 4 व प्रदर्श पी 5 पर हस्ताक्षर थाने पर ही करवाए थे।

12. गवाह पी.ड. 3 मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए है कि वह दिनांक 03.08.2015 को पीएस पाटन में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिनांक को प्रकरण संख्या 211/15 अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. में पंजीकृत हुआ था। जिसमें अनुसंधान अधिकारी सुरेश सिंह एचसी 50 थे। जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा मौका उसकी मौजूदगी में बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है। दिनांक 03.08.2015 को समय लगभग 01.30 पीएम का है। उसी दिन मौके पर घटनास्थल फर्द पेशकशी मुस्तगीस द्वारा एक खाली डिब्बा जिसमें एक बैटरी, मोबाइल चार्जर, एक लीड, ईयर फोन उसके सामने अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने जब्त की थी। उसके अलावा मौके पर सुभाषचंद व परिवादी त्रिवेन्द्र कुमार शर्मा मौजूद थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 02 है। उसी दिन कांचरेड़ा रोड पर उसके सामने अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने भीमराज उर्फ कालू को जुर्म धारा 380 भा.दं.सं. में गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 7 है। मौके पर ब्रह्मप्रकाश कानि. 565 मौजूद थे। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर थे। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किए कि घटनास्थल का नक्शा उसके सामने ही बनाया था। दुकान उत्तर दिशा में है या दक्षिण दिशा में आज उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 2 पर आईओ सहित 4 आदमी के हस्ताक्षर थे। मोबाइल के डिब्बे पर क्या लिखा हुआ था आज उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 2 में जब्त समान आज कोर्ट परिसर में मौजूद नहीं है।

13. अभियोजन द्वारा दौराने विचारण पेश किए गए साक्ष्य का विवेचन किया जावे तो अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 3 गवाह परीक्षित करवाए गए है। प्रकरण का मुख्य गवाह परिवादी त्रिवेन्द्र कुमार जो कि गवाह पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुआ है के बयान मोबाइल व अभियुक्त

के पहचान के बिंदू पर डेफर किए गए थे जो कि पूर्ण नहीं हुए जिससे अभियुक्त को परिवादी से जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए उक्त गवाह के बयान अभियुक्त के विरुद्ध नहीं पढ़े जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी त्रिवेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में परिवादी ने अंकित किया है कि दिनांक 01.08.2015 को उसकी दुकान से चोरीशुदा मोबाइल में बैटरी डलवाने के लिए दिनांक 03.08.2015 को योगेश की दुकान पर आया जिसने उसे फोन किया जब वहां पहुंचा तो भीमराज उर्फ कालू फोन लेकर भाग गया । प्रकरण में अभियोजन द्वारा उक्त योगेश को परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में अन्य परीक्षित गवाह पी.ड. 2 सुभाष कुमार है जिसको अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है ने अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन किए है कि घटना होली चौक हसामपुर में मोबाइल की दुकान की है। मोबाइल की दुकान योगेश की है। उसके पास त्रिवेन्द्र आया उसने बताया कि भाई मोबाइल मिल गया योगेश की दुकान पर मोबाइल में भीमराज बैटरी डलवाने के लिए योगेश के पास गया था। उसने भीमराज से पूछा कि वह मोबाइल कहां से लेकर आया तो उसने बताया कि वह त्रिवेन्द्र की दुकान से चोरी की है। फिर वह मोबाइल व अभियुक्त को त्रिवेन्द्र की दुकान पर बैठाकर कर आ गया। इस प्रकार उक्त गवाह स्वयं को त्रिवेन्द्र द्वारा बताने का कथन करता है तथा अपनी साक्ष्य में तहरीर रिपोर्ट से भिन्न कथन करता है जहां तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में परिवादी द्वारा कथन किए गए है कि जब वह योगेश की दुकान पर पहुंचा तो वहां से भीमराज उर्फ कालू फोन लेकर भाग गया जबकि उक्त गवाह अपनी साक्ष्य में कथन करता है उसने भीमराज व मोबाइल को त्रिवेन्द्र की दुकान पर बैठाया था जिसने पुलिस को पकड़ा दिया। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य संदेहास्पद दर्शित होती है एवं विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। गवाह पी.ड. 3 मनोज कुमार जो कि कानि. के पद पर पदस्थापित होने व प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरेश कुमार के साथ कार्यवाही के समक्ष मौजूद होने का कथन अपनी सशपथ साक्ष्य में करता है किंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा यहां प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित नहीं करवाया गया है जिससे उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि हो पाती तथा प्रकरण में फर्द जब्ती व नक्शा मौका की ताईद अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अभाव में नहीं हो पायी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध कि अभियुक्त ने दिनांक 01.08.2015 को या इसके लगभग दोपहर करीब 1 बजे परिवादी त्रिवेन्द्र की दुकान यश मोबाइल प्वॉइंट बस स्टेण्ड हसामपुर में से रेज कंपनी का काले रंग का मितवा मोबाइल जिसके ईएमईआई नंबर 911456300217306 व 911456300217314 को परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक चोरी कर ले गया को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

14. ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। अतः अभियुक्त भीमराज उर्फ कालू अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. से संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:ः आदेश:ः

15. एतद्द्वारा अभियुक्त भीमराज उर्फ कालू पुत्र श्री रामजीलाल निवासी ढाणी सांपाला तन कोला की नांगल जिला सीकर को अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। **प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत मोबाइल इन्सट्रूमेन्ट एवं फर्द पेशकशी में जब्त एक खाली डिब्बा पैकिंग, एक बैटरी मोबाइल की, एक चार्जर व एक लीड ईयर फोन के संबंध में पंजीकृत स्वामी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर**

नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जावे।

16. अभियुक्त के उपस्थिति बाबत पूर्व के प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपए का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करे कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(सना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना

17. निर्णय आज दिनांक 15.07.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना

NITIN SAIN
Steno Gr. III
"AuthenticateDocument"
Digitally signed by
NITIN SAIN
Date: 2026.07.24
16:31:51 +0530